**संख्या-722/2017/1854/22-2-2017-17(499)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीप्रकाश पुत्र श्री छंगू राम निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27100/प्रो0बे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017 दिनांक 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीप्रकाश पुत्र श्री छंगू राम निवासी ग्राम-पूरे पजई मई, थाना-धम्मौर, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जिला-अमेठी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा आवादी की जमीन कब्जा के विवाद को लेकर घटना दिनांक 12-03-2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट की घटना का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-116/2007 में भा0द0वि0 की धारा-452, 325, 324, 323 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 सुल्तानपुर के ओदश दिनांक 13-10-2009 द्वारा 03 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-05-2016 द्वारा उक्त सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 00 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 00 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 31.03.2017 तक बन्दी की आयु 37 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-4423/(एम0बी0)/2017 जय प्रकाश व 02 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-02-2017 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्रीप्रकाश (बन्दी संख्या-01/2017) श्री छंगू राम निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-722/2017/1854/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।